कार्यालय, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमंडल, छपरा

ज्ञापांकः—06—02 / 2024(RTA)...148.... / दिनांक...30/..04../ 2025

—:सूचना:—

एतद् द्वारा सभी संबंधित वाहन स्वामियों को सूचित किया जाता है कि क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण, छपरा द्वारा निर्गत परमिट वाले वैसे बसों, जिनकी आयु विभागीय वाहन पोर्टल पर जॉच के क्रम में **15 वर्ष** से अधिक एवं उनके पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक पाया गया था, की सूची संलग्न कर **कार्यालय के नोटिस बोर्ड व कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर सूचना प्रकाशित करते हुए संबंधित वाहन स्वामियों को निदेशित किया गया था कि वे** 15 दिनों के अन्दर उसी प्रकार के उच्च्य मॉडल के वाहन से अपने पूर्व वाहन के परमिट को अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लें। अन्यथा आपके वाहन पर धारित परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे तथा उक्त सूचना को दैनिक समाचार पत्र में भी प्रकाशन कराया गया, जो समाचार पत्र हिन्दुस्तान एवं प्रभात खबर में दिनांक 04.04.2025 के अंक में प्रकाशित हुआ। इसके पश्चात दिनांक—17.04.2025 को कुल—66 वाहन स्वामियों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस भेजा गया, जिसमें उन्हें पुनः 15 दिनों का समय देते हुए अपने वाहन के परमिट को प्रतिस्थापन करा लेने हेतु निदेशित किया गया। **साथ ही उनको दिनांक 25.04.2025 को पूर्वाह्न 11:00 बजे सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमण्डल, छपरा के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का भी अवसर दिया गया।**

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि इस संबंध में प्राधिकार के बैठकों में नियमित रूप से वाहन स्वामियों से अनुरोध किया जाता रहा है कि जिस वाहन/बस की आयु परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही 15 वर्ष हो रहा हो एवं उस वाहन के पक्ष में धारित परमिट का परिचालन मार्ग प्रतिदिन 100 कि0मी0 से अधिक हो, तो वैसे वाहनों/बसों की आयु 15 वर्ष पूरी होने के एक माह पूर्व ही उसी प्रकार के उच्च्य मॉडल के वाहन से अनिवार्य रूप से प्रतिस्थापन करा लेंगे, अन्यथा परमिट की वैधता तिथि से पूर्व ही वाहन/बस की आयु 15 वर्ष पूरा होने पर परमिट स्वतः रद्द समझा जायेगा।

उक्त के आलोक में अबतक मात्र 02 वाहन स्वामियों द्वारा परमिट प्रतिस्थापन हेतु आवेदन दिया गया है एवं 28 वाहन स्वामियों द्वारा आवेदन पत्र के माध्यम से परमिट प्रतिस्थापन हेतु और अधिक समय की मांग की गई है। चूंकि उपरोक्त से स्पष्ट है कि परमिट प्रतिस्थापन हेतु वाहन स्वामियों को पर्याप्त समय दिया गया है। फिर भी उनके आवेदन पर सहानुभूति पूर्वक विचार करते हुए उक्त 28 वाहन स्वामियों को दिनांक 28.04.2025 को द्वितीय नोटिस निर्गत किया गया एवं उन्हें अपने वाहन के परमिट को दिनांक 07.05.2025 तक प्रतिस्थापन करा लेने हेतु अंतिम मौका प्रदान किया गया।

अतएव उक्त 28 वाहन स्वामियों के अतिरिक्त अन्य वाहन स्वामियों को भी अंतिम मौका देते हुए उन्हें निदेशित किया जाता है कि आप अपने वाहन के परमिट का प्रतिस्थापन दिनांक 07.05.2025 तक अनिवार्य रूप से करा लें। दिनांक 07.05.2025 तक परमिट प्रतिस्थापन हेतु आवेदन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि आप परमिट प्रतिस्थापन हेतु इच्छुक नहीं है एवं ऐसी स्थिति में आपके वाहन के परमिट को नियमानुसार रद्द कर टाईम स्लॉट फ्री कर दिया जायेगा, जिसके लिए आप स्वयं जिम्मेवार होंगे।

नोट—दिनांक 17.04.2025 को कुल—66 वाहन स्वामियों को भेजे गये नोटिस की प्रति एवं दिनांक 28.04.2025 को कुल—28 वाहन स्वामियों को भेजे गये नोटिस की प्रति तथा जिन वाहन स्वामियों का नोटिस लौटकर वापस आ गया है, की प्रति कार्यालय के वेबसाईट (www.sarandivision.bih.nic.in) पर प्रकाशित हैं।

(आयुक्त—सह—अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सारण प्रमंडल, छपरा के आदेशानुसार)

Signed by
Sanjay Kumar
Date: 30-04-2025 16:48:54
आयुक्त के सचिव,
सारण प्रमंडल, छपरा।